

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

20.1.26

पत्रावली पेश दुई राजकीय पैरोकार उप.
पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि
प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 13
के तहत लीज डीड निरस्त करने हेतु पेश
किया है, जबकि उक्त प्रा.प. राजस्व शाखा
से संबंधित है। प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रा.प.
पोषणीय नहीं होने से राजस्व शाखा में
स्थानान्तरण किया जाना न्यायद्वि में ठचित
प्रतीत होता है। लिहाजा मूल प्रा.प. राजस्व
शाखा में स्थानान्तरण हो तथा पत्रावली
नंबर से कम हो।


जिला कलक्टर
बालोतरा